



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक: सीआरओ/राआम/2022-23/109

दिनांक :- 15/09/2022

आदेश


वर्ष 2022-2023 की आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों की विकसित भूमि दरों का लागत प्रकोष्ठ से जारी कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ.2(3)लागत/1037(iv)/209 दिनांक 11.07.2022 एवं संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ.2(3) लागत/1037(iv)/238 दिनांक 29.08.2022 द्वारा दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 तक के लिए निर्धारण किया गया है।

उक्त क्रम में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों की निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम विड मूल्य (MBP) की वैधता अवधि आगामी संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 30.06.2023 तक निर्धारित की जाती है।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-I/II/III, नविवि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव-सचिव/मुख्य अभियन्ता-मु0/I/II/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
7. उप वित्तीय सलाहकार/जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, रा.आ.मं. जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, वृत्त, रा.आ.मं.,
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड, रा.आ.मं.,
11. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को ई-मेल करें।
12. रक्षित पत्रावली।


उप वित्तीय सलाहकार